UPBS120005622022

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 441/2022

श्यामलाल बनाम अध्यक्ष नगर पालिका आदि

<u>13.09.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र कागज सं० 6ग२ पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा विवादित भूमि अक्षरान ए,बी,सी,डी प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र स्थित गाटा सं० 155 व 160 के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। वादी द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में सबूत सूची कागज सं० 10ग1 द्वारा छायाप्रति मानचित्र कागज सं० 11ग1, छायाप्रति पट्टा प्रमाण पत्र कागज सं० 12ग1, नकल खतौनी कागज सं० 13ग1, नकल रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक कागज सं० 14ग1, नकल खतौनी कागज सं० 15ग1, छायाप्रति दस्तावेज बैनामा कागज सं० 16ग1/1 लगायत 16ग1/3, नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा०दी० एवं 326 नगर पालिका अधिनियम कागज सं० 17ग1 दाखिल किया गया है। प्रतिवादी सरकार है। अतः ऐसी स्थिति में बिना प्रतिवादीगण को सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

<u>आदेश</u>

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग2 दिनांक–27.09.2022 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 8ग2</u>

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 8ग2 विवादित भूमि का नक्शा एवं आख्या जरिए अदालत अमीन मंगवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वाद के निस्तारण में अमीन रिपोर्ट व नक्शा सहायक होगा। अतः प्रार्थनापत्र 8ग2 स्वीकार किया जाता है। अदालत अमीन को परवाना जारी हो। वादी पैरवी करे।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।